कार्यालय सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड,
नगर पालिक निगम, सतना (म.प्र.)

E-Mail : satnasmartcityltd@gmail.com

क्र.SSCDL/2018/ABD/01/425 सतना, दिनांक 05.10.2018

आदेश

शासन द्वारा स्वीकृत सतना स्मार्ट सिटी परियोजना अन्तर्गत सोनौरा चेक उतैली, सोनौरा, सेजहटा तहसील रघुराजनगर जिला सतना के चिन्हित क्षेत्र जहां स्मार्ट सिटी बनाई जाना है को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में आदेश क्र. 174/SSCDL/2018 दिनांक 30.06.2018 से स्मार्ट सिटी परियोजना के प्लान अनुसार स्मार्ट सिटी क्षेत्र एवं इससे संलग्न 1000 मीटर के क्षेत्र में समस्त प्रकार के क्रय–विक्रय, डायवर्सन निर्माण/विकास कार्य, विकास सर्वे आदि तत्काल प्रभार से प्रतिबंधित किए गए थे।

चूकि स्मार्ट सिटी परियोजना अन्तर्गत ए.बी.डी. क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। अतः उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए स्मार्ट सिटी क्षेत्र की बाहरी सीमा में स्थित खसरा क्र. जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है :–

ग्राम – सोनौरा चेक उतैली, खसरा न. – 124, 126, 131, 133, 134, 135

ग्राम – सोनौरा, खसरा न. – 49/1/2, 48, 47, 45, 64/2/1/ब, 64/2/1/अ 2, 64/1ब, 69/1, 69/2, 68, 72, 138, 131, 133, 134, 122, 127, 126, 278, 279, 321, 329/342, 329, 338, 34, 30/1, 35, 19, 17/2ब

ग्राम – सेजहटा, खसरा न. – 135, 136, 137, 133, 115, 116, 120, 125, 45, 39, 17/2, 14, 11, 8, 9, 4/1.

एवं उपरोक्त वर्णित खसरा क्रमांक के भीतर स्थित क्षेत्र व इसकी बाहरी सीमा से लगे 200 मीटर के क्षेत्र में समस्त प्रकार के क्रय–विक्रय, डायवर्सन निर्माण/विकास कार्य, विकास सर्वे आदि तत्काल प्रभार से प्रतिबंधित किए जाते है।

यदि कोई व्यक्ति/फर्म/विभाग किसी प्राकर का क्रय–विक्रय, डायवर्सन निर्माण/विकास कार्य करना चाहता है तो इस संबंध में सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड, सतना से अनापत्ति प्राप्त करें एवं अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत ही स्थल पर कार्य करे। कार्यालय सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड, सतना से अनापत्ति प्राप्त किए बिना क्रय–विक्रय, डायवर्सन, निर्माण/विकास कार्य करने पर इसे अवैध माना जायेगा एवं तोडने की/बेदखली करने की कार्यवाही की जावेगी एवं इस पर होने वाला व्यय संबंधित से वसूल किया जाएगा।

5/10/18

चेयरमैन
सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट लिमिटेड
एवं
कलेक्टर, जिला सतना (म.प्र.)